रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062024-254607 CG-DL-E-07062024-254607

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2113]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2024/ज्येष्ठ 17, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2024/JYAISHTHA 17, 1946

No. 21131

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2024

का. आ. 2215(अ).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में क्रमांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गाया है) की अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अपेक्षित है;

और, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तारीख 12 फरवरी, 2020 के अपने आदेश के द्वारा, मूल आवेदन संख्या 55/2019 (डब्ल्यूजेड), (गजुभा जेसर जाडेजा बनाम भारत संघ और अन्य) में अन्य बातों के साथ-साथ यह अवलोकन किया है कि कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील विनिर्माण उद्योगों को पूर्व पर्यावरण मंजूरी की अपेक्षा होती है;

और, केंद्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऐसे कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील विनिर्माण उद्योगों हेतु एक निश्चित अवधि प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपर्युक्त उक्त आदेश के अनुरूप एक सुविचारित विनिश्चय लिया था;

और, उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) क्रम संख्यांक का.आ. 5020 (अ) तारीख 22 नवंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी

3433 GI/2024 (1)

व्यक्तियों से जिनकी उनसे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर जिसको उक्त् प्रारुप अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी,आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रतिउत्तर में प्राप्त आक्षेप और सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

(क) मद 2 (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

परियोजना या क्रियाकलाप		निर्धा	शर्तें यदि कोई हों	
		क		
2	प्राथमिक	प्रसंस्करण		
''2(ग)	पेलेट संयंत्र		क्षमता पर ध्यान दिए बिना सभी स्टैंडअलोन पेलेट संयंत्र	साधारण शर्त लागू होगी";

(ख) मद 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

परियोजना या क्रियाकलाप		निर्धारित सीमा के	शर्तें यदि कोई हों	
		क	ख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3	सामग्री उ	त्पादन		
3(क)	धातु	(क) प्राथमिक	-	सामान्य शर्त लागू होगी.
	कर्मीय	धातु कर्मीय	स्पंज आयरन निर्माण <200 टीपीडी (<0.06 मिलियन	
	उद्योग (लौह	उद्योग-सभी परियोजनाएं	टन प्रति वर्ष- एमटीपीए)	टिप्पण:
	और	11/41/41/11/		i. निम्नलिखित नियमों के
	अलौह)		द्वितीयक धातु कर्मीय उद्योग:	अधीन रजिस्टर्ड

		(ख) स्पंज	(i) < 0.02 एम	ाटीपीए क्षमता वार्ल	ो जहरीली धातु	पुनर्चक्रण औद्योगिक
		आयरन	(लैड, कैडमिय <u>ः</u>	म, आर्सेनिक, मरक्	तरी, क्रोमियम)	इकाइयों को छूट दी गई
		विनिर्माण ≥	े उत्पादक इकाइय	Ť	•	है, अर्थात्: -
		200 टीपीडी				
		(>0.06	(ii) गैर विषैली १	प्रातुओं के पिघलने से ज्	नडी प्रक्रियाएं	(क) खतरनाक और अन्य
		Ú	-		·	 अपशिष्ट (प्रबंधन और
		एमटीपीए)	भट्ठी में ईंधन	श्रेणी बी2	श्रेणी बी1	सीमापार संचलन)
			1. ठोस या	≥ 0.03 एमटीपीए	≥ 0.06	्र नियम, 2016;
		(ग) द्वितीयक	तरल ईंधन	से < 0.06	एमटीपीए	(ख) ई-कचरा (प्रबंध)
		धातु कर्मीय		एमटीपीए एमटीपीए		, ,
		उद्योग:		<i>.</i> ≥ 0.06 एमटीपीए	≥ 0.12	नियम, 2016;
				2 0.00 एमटापाए	2 0.12	(ग) बैटरी
			या बिजली	से < 0.12	एमटीपीए	कचरा प्रबंध नियम,
		<u>></u> 0.02		एमटीपीए		नियरा प्रयम्भ गियम,
		एमटीपीए	(iii) ऐसी प्रकिय	। ।एं जिनमें केवल पिका	्रिंग के साथ गैर	2022.
क्षमता वाली			विषैली धातुओं व	(ii) धातु कर्मीय उद्योगों		
		जहरीली धातु	भट्ठी में ईंधन	श्रेणी बी2	श्रेणी बी1	के भीतर स्थापित
		(लैड, कैडमियम,	.0	यसा आ∠	नशा आ।	 निम्नलिखित ताप विद्युत
		आर्सेनिक,	1. ठोस या	≥ 0.06 एमटीपीए	≥ 0.12	् संयंत्रों को
		मरकरी,	तरल ईंधन	से <	एमटीपीए	छूट दी गई है, अर्थात्: -
				0.12एमटीपीए		(क) मद 1(घ) में
		क्रोमियम)	2. गैस ईंधन	> 0.42	≥ 0.18	
		उत्पादक		≥ 0.12 एमटीपीए	2 0.10	विनिर्दिष्ट विद्युत संयंत्र के
		इकाइयाँ	या बिजली	से < 0.18	एमटीपीए	सिवाए संयंत्र या इकाई
				एमटीपीए		
				<u> </u>	<u>l</u>	(ख) नगर पालिका ठोस
						अपशिष्ट (गैर खतरनाक)
						पर आधारित ताप विद्युत
						संयंत्र ।

	(iii). स्टैंडअलोन रोलिंग
	या री रोलिंग एक्स्त्रुस्सन
	या पिएर्सिंग या फोर्जिंग
	या ड्राइंग इकाइयाँ
	जिसमें किसी भी प्रकार
	के पिघलने या
	पिक्लिंग को छूट दी गई
	है।

[फा. सं. आईए-ज़ेड-11013/83/2022—आईए-II(आईएनडी-I)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3840(अ) तारीख 30 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2024

S.O. 2215(E).— Whereas the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, requires prior environmental clearance for the projects or activities specified under Schedule there of (hereinafter referred to as the said notification);

And whereas the National Green Tribunal vide its order, dated the 12th February, 2020, in Original Application No. 55/2019 (WZ), (Gajubha Jesar Jadeja vs Union of India & Ors.), has, *inter alia*, observed that cold rolled stainless steel manufacturing industries require prior environment clearance;

And whereas the Central Government, had taken a considered decision in line with the above said order of the National Green Tribunal to provide a window period for such cold rolled stainless manufacturing industries to obtain prior environmental clearance under the said notification;

And whereas a draft notification for making amendments in the said notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section(ii), *vide* number S.O. 5020(E), dated the 22nd November, 2023, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the Public;

And whereas the objections and suggestions received in response to the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in

the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely: -

In the said notification, in the Schedule-

(a) after item 2(b) and entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely: -

Projec	t or Activity	Category with	Conditions if any	
		A	В	
2	Primary Proces	sing		
"2(c)	Pellet plant	-		General condition shall apply";
			irrespective of capacity	

(b) for item 3 and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

Project or Activity		Category with threshold limit			Conditions if any			
		A		В				
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	
"3	Materials Prod	uction						
3(a)	Metallurgical industries (ferrous & nonferrous)	(a) Primary metallurgical industry-All projects	-			Gene apply	ral Condition shall	
	(b) Sponge iron manufacturing ≥ 200TPD (≥0.06MTPA) Sponge iron manufacturing <200TPD (<0.06 Million Tonnes Per Annum-MTPA)		units follow	: The recycling industrial registered under wing rules are pted, namely:-				
		(c) Secondary metallurgical industry: Toxic metals (Lead, Cadmium, Arsenic Mercury, Chromium) producing units with capacity ≥ 0.02MTPA	(i) Toxic metals (Lead, Cadmium, Arsenic, Mercury, Chromium) producing units with capacity < 0.02MTPA		mium, n) y	Management Rules,		
			Fuel in the furnace 1. Solid or liquid fuel 2. Gas fuel or electricity iii) Processes inontoxic meta	MTPA to < 0.12 MTPA		powe metal	2022. (ii).The following thermal power plants setup within metallurgical industries are exempted, namely:- (a) plants or units, other than power plants referred to in the item 1(d);	

	B1	or re-rolling or extrusion or
liquid fuel M	≥ 0.12 MTPA	piercing or forging or drawing units not involving any type of melting or pickling are exempted".
	≥ 0.18 MTPA	

[F. No. IA-Z-11013/83/2022-IA-II(IND-I)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 3840(E), dated the 30th August, 2023.